रिपोर्ट पटवारी व भूप्रबन्धक

[illegible]

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

श्रीमान की मुताबिक जमाबन्दी संवत 2038 के खाता सं 25 पूर्व खाता सं. 119 में खातेदार का नाम सुलेमान पुत्र महताब मेव दर्ज है जमाबन्दी संवत 2047 बनाम सलम सुलेमान के स्थान पर सुल्तान दर्ज हुआ है जिसमें भू.प्र.व. संवत 2051 में भी अंकित का नाम सुल्तान दर्ज चला आ रहा है। अतः मुताबिक जमाबन्दी संवत 2033 के अनुसार खाता खाता सं 68 में सुल्तान पुत्र महताब के स्थान पर सुलेमान पुत्र महताब जाति मेव दर्ज किया जाना उचित है।

आदेश

उप तहसीलदार
बहादुरपुर (अलवर)

कार्यालय उप तहसीलदार, बहादुरपुर

क्रमांक 83 दिनांक 20/07/2022

उपखण्ड अधिकारी

.....

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-136 के तहत प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

उप तहसीलदार
बहादुरपुर (अलवर)

दिनांक 20/7/2022

उप तहसीलदार बहादुरपुर की अभिशंसा के आधार पर प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। हल राजस्व रिकार्ड में सुल्तान पुत्र महताब के स्थान पर सुलेमान पुत्र महताब जाति मेव दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर